संख्या:- 02 /2025/ 93 /छिहत्तर-1-2025-1584198

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक 17 जनवरी, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय से कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा कराये गये कार्यो के सापेक्ष सेन्टेज की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में । (अनुदान संख्या-93)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3046/डब्लू-409(सेन्टेज)/2024-25/Fin-3, दिनांक 05 नवम्बर, 2024, पत्र संख्या-1047/डब्लू-409(सेन्टेज)/2024-25/Fin-3, दिनांक 05 नवम्बर, 2024 एवं पत्र संख्या-1045/डब्लू-409(सेन्टेज)/2024-25/Fin-3, दिनांक 05 नवम्बर, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर दिनांक 01-04-2024 से 30-06-2024 तक कराये गये कार्यो के सापेक्ष अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर कराये गये कार्यो के सापेक्ष सेन्टेज की प्रतिपूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-93 में प्राविधानित धनराशि में से रूपये 26393.44 लाख (रूपये दो अरब तिरसठ करोड तिरानब्बे लाख चौवालीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(2) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सेन्टेज का आगणन परियोजना पर नेट व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष ही किया गया है तथा नेट व्यय की गयी धनराशि में जी0एस0टी0, बाटआउट आइटम, लेबर सेस एवं कन्टीजेंसी आदि की धनराशि सम्मिलित नही है।

(3) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सेन्टेज के संदर्भ में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 व दिनांक 19 मई, 2023 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों/निहित व्यवस्था/प्रकिया का अनुपालन करते हुए नियमानुसार अनुमन्य सेन्टेज की ही धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जायेगी।

(4) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 व सेन्टेज के संदर्भ में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 व दिनांक 19 मई, 2023 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-93 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- 01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-02-जल जीवन मिशन-0201-जल जीवन मिशन (के.50/रा.50-रा.)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2–153 / दस-2024-25, दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Ambrish Kumar Singh
Date: 16-01-2025 11:13:58

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 02/2025/ 93.(1)/छिहत्तर-1-2025-1584198 तद्दिनांक-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
8- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

Signed by
Om Prakash Chauhan
Date: 17-01-2025 12:07:48

(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव।